

प्रेस नोट दिनांक 18.11.2025

जनपद चंदौली

चंदौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली, आदित्य लांगहे के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपद में पेशेवर/फर्जी जमानतदार/अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने एवं न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने हेतु जनपद स्तर पर आज दिनांक-18.11.2025 को जनपद चंदौली पुलिस द्वारा 16 पेशेवर/फर्जी जमानतदार को गिरफ्तार किया गया।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 18.11.2025 को वादी संजय सिंह प्रभारी निरीक्षक, थाना चंदौली कोतवाली जनपद चंदौली द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि जनपद के अपराधियों के जमानत लेने हेतु, जमानतदारों द्वारा अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मुख्य रूप से गौ-तस्करी, डकैती, लूट, हत्या, चोरी, नकबजनी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, अवैध शस्त्र आदि के प्रकरणों में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध अभियुक्तों से मिलीभगत करके कूटरचित अभिलेखों से एक ही जमानतदार द्वारा कई अभियुक्तों की जमानतें ली गयी है, इन जमानतदारों द्वारा मा0 न्यायालय को गुमराह कर पूर्व में ली गयी जमानतों का भी कोई उल्लेख जमानत लेते समय नहीं किया गया है, साथ ही कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग साजिश के तहत जमानत लेने में किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 331/25 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 111(2)(b) बीएनएस बनाम कुल 28 नामजद व अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। ये जमानतदार अभियुक्तों के बिना पहचान के ही जमानत लेते हैं।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 18.11.2025 को अभियान चलाकर अभियुक्तों को उनके सम्बन्धित थाना क्षेत्र के थाना प्रभारियों द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित कुल 28 अभियुक्तों में से 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण निम्न है-

- 1.सुरेश पुत्र अर्जुन, निवासी- विछिया कला, चन्दौली, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
- 2.सियाराम पुत्र स्व0 मुराहू राम, निवासी- प्रतापपुर, चन्दौली, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
- 3.श्याम सुन्दर पुत्र स्व0 दुक्खन, निवासी- हिनौता, चन्दौली, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
- 4.महेन्द्र पुत्र रामकिशुन, निवासी- छित्तो, चन्दौली, उत्तर प्रदेश, भारत
- 5.विश्वनाथ पुत्र लल्लू, निवासी- भिसौडी, मुगलसराय, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
- 6.सिपाही पुत्र रामनाथ, निवासी- महावलपुर, मुगलसराय, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
- 7.मुसाफिर पुत्र नसरुद्दीन, निवासी- सहजौर, मुगलसराय, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
- 8.चरनदास पुत्र शिवनाथ, निवासी- दुल्हीपुर, मुगलसराय, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत

9. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मुन्नीलाल, निवासी- हिनौली, मुगलसराय, उत्तर प्रदेश, भारत
10. असलम पुत्र रफीक, निवासी- सहजौर, मुगलसराय, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
11. घनश्याम पुत्र सोमारू राम, निवासी- सिसौरा खुर्द, कन्दवा, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
12. छोटे लाल पुत्र रामप्यारे, निवासी- औराही, चकरघट्टा, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
13. सुरेश पुत्र देवशरण, निवासी- जेवरियाबाद, सैयदराजा, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
14. मनोज कुमार जायसवाल पुत्र स्व० भगन प्रसाद, निवासी-ददरा, बबुरी, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
15. भारतीय पोप पाल सिंह पुत्र स्व० शिव विलास सिंह, निवासी- ताजपुर, सकलडीहा, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
16. प्रमोद अवस्थी पुत्र स्व० जगरनाथ, निवासी- सकलपुर, सकलडीहा, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत

पूछताछ का विवरण/अपराध का तरीका:-

जांचोपरान्त पाया गया कि कई अभियुक्तों ने एक ही जमानतदार अथवा संपत्ति के आधार पर बार-बार फर्जी जमानत ली है। कुछ दलालों द्वारा 2000-3000 रुपये की धनराशि लेकर पेशेवर जमानतदारों से जमानत दिलवायी है। कई प्रकरणों में यह भी पाया गया कि पेशेवर जमानतदारों के समस्त कागजात, परिचय पत्र आदि दलाल अपने पास ही रखते थे और उनका प्रयोग करते रहते थे। गिरफ्तारी के पश्चात् अभियुक्तों ने पूछताछ में यह भी बताया गया कि हम लोग पैसे के लालच में अभियुक्तों की जमानत लेते थे। जिन लोगों की जमानत हमारे द्वारा ली गयी है, हमें उनका नाम पता भी मालूम नहीं है। हमारे द्वारा एक ही खतौनी के कागज पर कई अभियुक्तों की जमानत ली गयी है। जमानत प्रपत्र में लगने वाले शपथ पत्र में भी हमारे द्वारा पूर्व में ली गयी जमानतों के तथ्य छुपाये गये हैं।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं० 331/25 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 111(2)(b) बीएनएस थाना व जनपद चंदौली

अभियुक्त पेशेवर/फर्जी जमानतदारों का विवरण-

1. मृत्युंजय सिंह पुत्र स्व० रामआशीष सिंह, निवासी- जमुनीपुर, चन्दौली, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
2. सुरेश पुत्र अर्जुन, निवासी- विछिया कला, चन्दौली, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
3. सियाराम पुत्र स्व० मुराहू राम, निवासी- प्रतापपुर, चन्दौली, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
4. श्याम सुन्दर पुत्र स्व० दुक्खन, निवासी- हिनौता, चन्दौली, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
5. महेन्द्र पुत्र रामकिशुन, निवासी- छित्तो, चन्दौली, उत्तर प्रदेश, भारत
6. विश्वनाथ पुत्र लल्लू, निवासी- भिसौडी, मुगल सराय, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
7. सिपाही पुत्र रामनाथ, निवासी- महावलपुर, मुगल सराय, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
8. मुसाफिर पुत्र नसरूद्दीन, निवासी- सहजौर, मुगल सराय, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
9. समीम पुत्र रफीक, निवासी- सहजौर, मुगल सराय, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
10. चरनदास पुत्र शिवनाथ, निवासी- दुल्हीपुर, मुगल सराय, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत

11. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मुन्नीलाल, निवासी- हिनौली, मुगलसराय, उत्तर प्रदेश, भारत
12. असलम पुत्र रफीक, निवासी- सहजौर, मुगलसराय, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
13. चन्दमा पुत्र नौरंग, निवासी डिरेहूँ, चकिया, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
14. घनश्याम पुत्र सोमारू राम, निवासी- सिसौरा खुर्द, कन्दवा, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
15. छोटेलाल पुत्र रामप्यारे, निवासी- औराही, चकरघट्टा, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
16. अशोक कुमार पुत्र रामजी, निवासी- खडान, धानापुर, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
17. सुरेश पुत्र देवशरण, निवासी- जेवरियाबाद, सैयदराजा, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
18. महेन्द्र रशिया पुत्र ढोढाराम, निवासी- धरौली, सैयदराजा, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
19. मनोज कुमार जायसवाल पुत्र स्व० भगन प्रसाद, निवासी-ददरा, बबुरी, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
20. मुरारी पुत्र शिवनाथ, निवासी- फिलची, इलिया, चंदौली, उत्तर प्रदेश
21. राजेश नाहर पुत्र खरपत राम, निवासी- घोडसारी, इलिया, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
22. अब्दुल शाह अली पुत्र इशहाक शाह, निवासी- बराव, इलिया, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
23. राजेन्द्र पुत्र बंशू, निवासी- इलिया, इलिया, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
24. अजय कुमार पुत्र सागरराम निवासी- इलिया, इलिया, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
25. लखेटू राम पुत्र शिवराम, निवासी-खिलची रजडीहा, इलिया, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
26. रंगनाथ पाण्डेय पुत्र स्व० सिपाही पाण्डेय, निवासी- लेहरा खास, इलिया, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
27. भारतीय पोष पाल सिंह पुत्र स्व० शिव विलास सिंह, निवासी- ताजपुर, सकलडीहा, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
28. प्रमोद अवस्थी पुत्र स्व० जगरनाथ, निवासी- सकलपुर, सकलडीहा, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत

उपरोक्त में से 09 जमानतदारों में गौ-तस्करी जैसे अपराधों में शामिल अभियुक्तों की फर्जी तरीके से जमानत ली।

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

→ थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक लादकर ले जा रहे कुल 09 राशि गोवंश को बरामद कर 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांगहे द्वारा गौ-तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व गोवंश की तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी सदर, देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा विन्देश्वर प्रसाद के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 18.11.2025 को थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर की सूचना से सूचना मिली कि गोवंशी पशुओ को लादकर गोवध हेतु बिहार एनएच-2 हाइवे के उत्तरी लेन से होकर बिहार जाने वाले है। उक्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस टीम द्वारा पोखरा पानी टंकी कस्बा सैयदराजा के पीछे एनएच-2 हाइवे उत्तरी लेन पर पहुंच कर वाराणसी की तरफ से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि कुछ समय पश्चात 01 वाहन बहुत ही तेज गति से आता दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा दूर से रुकने का इशारा किया गया लेकिन वाहन चालक द्वारा जान बुझकर और तेज गति से चलाकर जान से मारने की नीयत से पुलिस बल के तरफ गाड़ी लेकर बढ़ा लेकिन पुलिस टीम द्वारा आपनी जान बचाते हुए इधर उधर हट बढ़ गये। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा सावधानी पूर्वक दौड़ाकर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त पिकअप वाहन न0 UP67BT4605 को चेक किया गया तो पिकअप में लदे 09 राशि गोवंशों को बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 345/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 109 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. कमलेश पुत्र रामाशंकर उम्र 32 वर्ष निवासी फत्तेपुर कलां थाना चन्दौली व जिला चन्दौली
2. राजू पुत्र रामबली निवासी खेदाईनारायनपुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

पंजीकृत अभियोग-

1. मु.अ.सं. 345/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम , 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 109 बीएनएस

बरामदगी का विवरण:-

1. 09 राशि गोवंश
2. एक वाहन संख्या UP67BT4605
3. दो एण्ड्रायड मोबाइल फोन व 34 रूपये

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
2. उ०नि० रामकुमार दुबे थाना सैयदराजा चन्दौली ।
3. का० रूद्रप्रताप थाना सैयदराजा चन्दौली ।
4. का० बृजेश चौहान थाना सैयदराजा चन्दौली ।
5. का० शंकर राम, थाना सैयदराजा चन्दौली ।
6. हे०का० मो० नासिरुद्दीन हुमायू थाना सैयदराजा चन्दौली ।
7. का. विष्णु दत्त प्रजापति , थाना सैयदराजा चन्दौली ।

थाना चकिया जनपद चन्दौली

→ थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा एक वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांगहे द्वारा वारण्टी व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन, दिगम्बर कुशवाहा एवं क्षेत्राधिकारी चकिया, रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष चकिया अर्जुन सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.11.2025 को थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 331/2025 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/111(2)(b)/61(2) BNS में वांछित अभियुक्त चन्द्रमा पुत्र नौरंग निवासी दिरेहू थाना चकिया जनपद चन्दौली को ग्राम दिरेहू गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त-

1. चन्द्रमा पुत्र नौरंग निवासी दिरेहू थाना चकिया जनपद चन्दौली उम्र 39 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 331/2025 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/111(2)(b)/61(2) BNS थाना व जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली।

उ0नि0 सुनील कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।

हे0का0 धर्मराज थाना चकिया जनपद चन्दौली।

का0 अनिल कुमार सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली।